विषय :– **मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कर्मचारियों (अधिकारियों सहित) के लिये पेन्शन योजना।**

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को वर्तमान में कोई पेन्शन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे अन्य निगम मण्डल जैसे म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, म.प्र. विद्युत मण्डल और यहां तक की म.प्र. के विश्वविद्यालयों में भी पेन्शन योजना लागू है। मध्य प्रदेश के बाहर कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी पेन्शन योजना लागू की है। कुछ अन्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी पेन्शन योजना लागू करने की सकारात्मक पहल की है। इस प्रकार कर्मचारियों के हित में यह अत्यन्त आवश्यक कदम है, अतः पेन्शन योजना लागू करने के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सभी पक्षों से चर्चा कर सहमति तैयार की है। इसी परिपेक्ष्य में बोर्ड के पत्र कमांक 506 दिनांक 24/05/2014 से अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित कर प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य है:–

1	डा. रामप्रसाद	सेवानिवृत्त PCCF (IFS) (राज्य बोर्ड के भूतापूर्व सदस्य) (समिति) अध्यक्ष।
2	श्री डी.एस. निगारे	सेवानिवृत्त उपसंचालक (वित्त), म.प्र.शासन सदस्य।
3	श्री व्ही.के. दुबे	उपसंचालक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, सदस्य।
4	श्री अभय कुमार सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ (प्रशासन) संयोजक।
5	श्रीमती निशा मिश्रा	अनुभाग अधिकारी (लेखा) वित्तीय संयोजक।

2. समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 01–08–2014 को 12.00 बजे सम्पन्न हुई।

3. समिति ने संबंधित अभिलेखों की छानबीन के अतिरिक्त बोर्ड के वित्तिय संसाधनों का परीक्षण किया। इसके साथ–साथ बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव व अन्य कर्मचारियों से चर्चा की गई। सभी लोगों ने एकमत से यह माना कि यह एक महती आवश्यकता है। इसको लागू करने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा एवं इनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।

4. पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड के कार्य की व्यापकता बढ़ी है क्योंकि राज्य एवं राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक प्रगति के साथ–साथ पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण अत्यन्त आवश्यक माना गया है। आज पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने से भी हो सकता है। उन्हें इसके लिये समकक्ष विभागों/बोर्ड इत्यादि के समान वेतन मानदेय एवं पेन्शन तथा अन्य सुविधाऐं समान रूप से देने से हो सकता है।

5. पेन्शन योजना की परिकल्पना का आधार निम्नानुसार है :–

(अ) वे समस्त कर्मचारी (अधिकारी सहित) जो 31 दिसम्बर 2004 तक नियमित सेवा में आये है उन्हें इस पेन्शन योजना का लाभ देना प्रस्तावित है। इस तिथि अर्थात 31 दिसम्बर 2004 के बाद सेवा में आये कर्मचारियों के लिये शासन के आदेश के अनुरूप नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जावेगा।

(ब) बोर्ड की संचित निधि से 20 (बीस) करोड़ रूपये तथा लगभग 20 (बीस) करोड़ रूपये क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय द्वारा नियोक्ता अंशदान की जमा राशि से प्राप्त होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त पेन्शन फण्ड में सीधे कर्मचारियों का बोर्ड अनुदान तथा बोर्ड की संचित निधि से प्रतिवर्ष रू. 2 (दो) करोड़ भी मिलने सम्भावना है, इससे सेवानिवृत कर्मचारी वर्ष 2058 तक पेन्शन के हकदार होंगे तथा उन्हें भुगतान किया जा सकेगा।

(स) जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है कि बोर्ड के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखतें हुए भविष्य में सम्मति शुल्क तथा अन्य स्त्रोतों से राजस्व में आशातीत वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिये यह बोर्ड के विवेक पर छोड़ देना प्रस्तावित है कि वे कर्मचारियों के पेन्शन के अतिरिक्त समय–समय पर महंगाई भत्तो की दरों में वृद्धि को देखतें हुए यथा अतिरिक्त अनुदान देवें।

(द) पेन्शन विनियम प्रारूप "अ", पेन्शन फण्ड में आय तथा व्यय दर्शाने वाला पत्रक "ब", पेन्शन पर व्यय सारांश पत्रक "स" तथा प्रतिवर्ष सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए परिगणित विस्तृत व्ययभार पत्रक "द", संलग्न है। पेन्शन योजना के कियान्वयन तथा व्यय की पूर्ति के लिए पेन्शन फण्ड का गठन किया जायगा तथा पेन्शन फण्ड बोर्ड के द्वारा नियंत्रित तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाऐं लेकर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

6. बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमानों में सामयिक पुनरीक्षण होने पर यथा–स्थिति पेन्शन राहत के भार में भी वृद्धि की संभावना है। इसके मद्देनजर समिति की एकमत से सिफारिश है कि प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में आने वाली इकाइयों से प्राप्त हो रही आय सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण शुल्क के 10 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त प्रभार लिया जावे जिससे पेन्शन फण्ड को सुदृढ़ किया जा सके।

7. प्रस्तावित पेन्शन योजना लागू करने के लिए समिति ने 6 दौर की विचार गोष्ठी तथा औपचारिक बैठकों का आयोजन किया। विगत 5-6 माह के निरंतर प्रयासों के पश्चात् प्रस्ताव सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो कि संलग्न प्रस्तुत है।

8. उपरोक्त को दृष्टिगत रखतें हुऐ समिति बोर्ड के कर्मचारियों (अधिकारियों सहित) के लिए पेन्शन योजना का यथा प्रस्ताव पूर्ण रूप में कियान्वयन की अनुशंसा करती है।

(डा. रामप्रसाद)	(डी.एस. निमारे)	(व्ही.के. दुबे)	(डा. अभय सक्सेना)	(निशा मिश्रा)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	संयोजक	(वित्तीय संयोजक)

प्रारूप "अ"

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

क्रमांक / / लेखा / प्रनिबो / 2014 भोपाल, दिनांक

–: अधिसूचना :–

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6 / 1974) की धारा 12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात –

अध्याय–एक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :–

   (1) यह विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पेन्शन) नियम, 2014 कहलाऐंगे।

   (2) यह 30 जून 2014 से प्रवृत (प्रभावशील) हुऐं समझे जाएंगे।

2. **परिभाषाऐं** :– इन नियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6 / 1974) की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गठित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है।

   (ख) "बोर्ड का कर्मचारी" से अभिप्रेत है, बोर्ड के गठन उपरान्त स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया नियमित कर्मचारी जो बोर्ड के बजट से वेतन प्राप्त कर रहा हो।

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन।

   (घ) "सक्षम अधिकारी या स्वीकृतकर्ता अधिकारी" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य सचिव।

3. प्रयुक्ति :–

(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के अलावा, ये विनियम 30 जून 2014 अथवा इसके पश्चात् बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत हुए नियमित कर्मचारी पर लागू होंगे, जिनकी बोर्ड की सेवा में नियमित नियुक्ति 31 दिसम्बर 2004 तक हुई हो।

(2) ऐसा कर्मचारी विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य हो, को बोर्ड पेन्शन योजना अथवा विद्यमान कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में से किसी एक का चयन करने का विकल्प देना होगा। विकल्प के अभाव में कर्मचारी वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि योजना का ही पात्र होगा।

(3) यह विनियम लागू नहीं होंगे :–

(क) बोर्ड सेवा के ऐसे नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2005 अथवा इसके पश्चात् हुई हो।

(ख) ऐसे कर्मचारी को जिसने उपरोक्त पेरा (2) अनुसार विद्यमान कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के चयन का विकल्प दिया है।

(ग) उन व्यक्तियों को जो संविदा पर, पुर्नःनियुक्ति पर, अल्पकालीन, आकस्मिकता पर रखें गए हो।

4. विकल्प का प्रयोग

(क) ऐसे समस्त नियमित कर्मचारी जो बोर्ड की सेवा में 31 दिसम्बर 2004 तक नियुक्त हुए है, को इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की समयावधि में निर्धारित प्रारूप में विकल्प दो प्रतियों में भरकर देना होगा। ऐसा कर्मचारी बोर्ड की पेन्शन योजना अथवा विद्यमान कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में से किसी एक के चयन का विकल्प देगा।

(ख) बोर्ड का सदस्य सचिव विकल्प की प्राप्ति पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा विकल्प की एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा करेगा व एक प्रति पेन्शन शाखा के रिकार्ड में रखी जावेगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा निवृति दिनांक 30 जून 2014 को या उसके पश्चात हुई है परंतु नियम के प्रकाशन तिथि/विकल्प की समयावधि के दौरान बिना विकल्प दिए दिवंगत हो जाते है, उनके परिवार आवश्यक अंशदान उपरान्त बोर्ड की पेन्शन योजना से आवृत माने जाएंगे।

(च) नियमों के प्रकाशन की तारीख पर निलम्बित कर्मचारी या अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को सेवा पर लौटने की तिथि से तीन माह के भीतर विकल्प देना होगा।

5. <u>पेन्शन फण्ड़ का गठन</u>

(क) पेन्शन योजना के कियान्वयन तथा व्यय की पूर्ति के लिए पेन्शन फण्ड़ का गठन किया जायगा तथा पेन्शन फण्ड़ बोर्ड के द्वारा नियंत्रित तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाऐं लेकर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। पेन्शन फण्ड़ निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(i) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने पेन्शन योजना के चयन हेतु विकल्प दिया है, या जिनके बारे में यह समझा गया है कि उन्होंने पेन्शन योजना का चयन कर लिया है, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में बोर्ड द्वारा जमा किया गया नियोक्ता अंशदान की रकम एवं उस पर अर्जित ब्याज से पेन्शन फण्ड़ का गठन होगा। इसके पश्चात कर्मचारी नियोक्ता अंशदान (मूल वेतन एवं मंहगाई भत्तें का 12 प्रतिशत) सीधे पेन्शन फण्ड़ में प्रतिमाह जमा होगा।

(ii) पेन्शन फण्ड़ को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रूपये 20 (बीस) करोड़ बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक राशि जमा की जाएगी तथा इसके पश्चात आगामी वर्ष से बोर्ड की आय के निश्चित अंश से 2 (दो) करोड़ प्रति वर्ष पेन्शन फण्ड़ में जमा (अंतरित) किया जाएगा।

(iii) पेन्शन फण्ड़ से विनियोग पर अर्जित ब्याज की रकम।

(iv) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने नियोक्ता अंशदान से आंशिक अंतिम विकर्षण प्राप्त कर लिया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन से प्राप्त विवरण के आधार पर राशि की प्राप्ति दिनांक से 8 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित कर्मचारी को वापिस लौटानी होगी। सेवा के दौरान ऐसी वसूली ब्याज सहित किस्तों में अथवा सेवा निवृति पर देय अंतिम स्वत्व जैसे – ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण तथा पेन्शन पर देय राहत से वसूल की जायगी।

(v) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 30/06/2014 के पश्चात एवं इन नियमों के प्रकाशन तथा विकल्प दिए जाने की समयावधि के मध्य सेवा निवृत हो गए हो तथा जिन्होंने पेन्शन योजना का विकल्प दिया है तथा कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि (नियोक्ता अंश) प्राप्त कर लिया है, नियोक्ता 8 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित एक मुश्त में राशि लौटाना होगा।

अध्याय – दो

6. **अर्हतादायी सेवा**

i. बोर्ड की सेवा में नियमित वेतनमान में पदभार ग्रहण की तिथि से अर्हतादायी सेवा प्रारम्भ मानी जायगी। कर्तव्य काल के अतिरिक्त सेवा के दौरान लिए गए तथा स्वीकृत सभी अवकाश, (असाधारण अवकाश 120 दिन तक) को अर्हतादायी सेवा माना जाएगा।

ii. निलम्बन की अवधि उसी दशा में अर्हतादायी सेवा मानी जायगी जब कर्मचारी के बहाल होने के उपरान्त पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया हो।

iii. सेवा में व्यवधान, मृत दिवस (Dies Non) अर्हतादायी सेवा नहीं मानी जायगी।

7. **उपलब्धियां** :–

पेन्शन का निर्धारण सेवा निवृति के अंतिम माह की उपलब्धियों पर किया जायगा। अंतिम माह की उपलब्धियों से आशय मूल वेतन से है। मूल वेतन = (बेड वेतन + ग्रेड़ पे)

8. **पेन्शन के प्रकार तथा उनकी स्वीकृति बाबत शर्तें** :–

1. पेन्शन के निम्न वर्ग में विभाजित है तथा उनकी स्वीकृति बाबत शर्तें निम्न है:–

अ. **अधिवार्षिकी पेन्शन** – बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु को पूर्ण कर सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी को अधिवार्षिकी पेन्शन स्वीकृत की जायगी। वर्तमान में सेवा निवृति आयु 60 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 62 वर्ष है।

ब. **निवृतिमान पेन्शन** – (i) 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर कर्मचारी सेवा निवृति ले सकता है। ऐसे कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह पूर्व सेवा निवृति बावत आवेदन करेगा, यदि आवेदन की समयावधि तीन माह से कम पड़ती है तो ऐसी अवधि के वेतन + भत्ते एक मुश्त जमा करना होगा।

(ii) बोर्ड द्वारा भी 25 वर्ष का सेवा काल अथवा 50 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर्मचारी को तीन माह पूर्व सूचना देकर अथवा उसके एवज में वेतन भत्ते भुगतान कर सेवा निवृत किया जा सकेगा।

(iii) कर्मचारी द्वारा सेवा निवृत किए जाने पर बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच संस्थित तो नहीं है अथवा ऐसी कोई जाँच विचाराधीन तो नहीं है, ऐसी स्थिति में सेवा निवृति पर विचार नहीं किया जाएगा।

स. **विकलांग पेन्शन** – कोई कर्मचारी शारीरिक रूग्णता, जिसने बोर्ड कीं सेवा के लिए हमेशा के लिए अयोग्य/अक्षम बना दिया है, को मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा निवृत किया जायगा।

द. **परिवार पेन्शन** – (i) बोर्ड के नियमित कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान होने अथवा सेवा निवृत्ति के उपरांन्त पेन्शन लेते हुए होने पर परिवार पेन्शन अंतिम मूल वेतन की 30 प्रतिशत देय होगी। न्यूनतम परिवार पेन्शन रू. 3025/– प्रति माह होगी।

(ii) **परिवार की परिभाषा** – बोर्ड कर्मचारी के मामले में पति अथवा पत्नि (मृत्यु या पुर्नः विवाह तक देय)

(iii) **पुत्र/अविवाहित पुत्री** (25 वर्ष तक देय)

इ. **पेन्शन का निर्धारण** :– (i) पेन्शन की पात्रता 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पर होगी। अर्हक सेवा 33 वर्ष की होने पर पेन्शन अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत देय होगी। न्यूनतम पेन्शन रू. 3025/– प्रतिमाह होगी।

(ii) तीन माह या उससे अधिक की गई सेवा को एक अर्ध वर्ष माना जायगा।

(iii) 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने पर पेन्शन सेवाकाल के अनुपाततः निर्धारित होगी।

(iv) पैसे के भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायगा।

ई. पेन्शन पर राहत–महंगाई अथवा तदर्थ वृद्धि – पेन्शन/परिवार पेन्शन पर राहत (मंहगाई), तदर्थ वृद्धि 50 प्रतिशत के अतिरिक्त देने पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायगा।

क. मृत्यु सह सेवा निवृति उपदान – बोर्ड कर्मचारियों को उनकी सेवा निर्बृति/मृत्यु पर ग्रेच्यूटी भुगतान वर्तमान में जीवन बीमा निगम से हुए अनुबन्ध अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

अध्याय – तीन

9. **पेन्शन/परिवार पेन्शन प्राधिकरण तथा भुगतान प्रकिया का निर्धारण** :–

(i) प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवम्बर माह में आगामी वर्ष में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड आदेश जारी करेगा।

(ii) सेवा निवृत होने वाला कर्मचारी सेवा निवृति के 6 माह शेष रहने पर अपना आवेदन प्रपत्र–एक तथा संयुक्त छायाचित्र, नमूना हस्ताक्षर वसूली की सहमति, बैंक का नाम, बचत खाता (संयुक्त पति/पत्नि) तीन सेट की पूर्ति कर बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(iii) बोर्ड का सदस्य सचिव सुनिश्चित करेगा कि सेवा निवृत होने जा रहे कर्मचारी के विरूद्ध बोर्ड की बकाया राशि तो शेष नहीं है, यदि ऐसी बकाया है तो सेवा निवृत्ति तक वसूली करना सुनिश्चित करेगा। सेवा निवृत्ति पर बोर्ड की बकाया राशि की वसूली ग्रेच्यूटी तथा अवकाश नगदीकरण से की जायगी।

(iv) सेवा निवृति तक विभागीय जाँच संस्थित रहने की दशा में पेन्शन अधिकतम 90 प्रतिशत तक प्राधिकृत की जाएगी।

(v) दिवंगत कर्मचारी की परिवार पेन्शन के लिए परिवार का सदस्य प्रपत्र– दो में परिवार विवरण, छायाचित्र, नमूना हस्ताक्षर, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसूली की सहमति, बैंक का नाम, बैंक खाता (तीन सेट) की पूर्ति कर बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(vi) बोर्ड का सदस्य सचिव सेवा अभिलेख के आधार पर पेन्शन/परिवार पेन्शन की गणना करेगा तथा पेन्शन भुगतान आदेश दो प्रतियों में तैयार करेगा। पेन्शन भुगतान आदेश की एक प्रति पेन्शन गार्ड फाईल में रहेगी तथा एक प्रति पेन्शन के प्रथम भुगतान के समय पेन्शन भोगी को दी जायगी।

(vii) पेन्शन प्रकरणों में निवृर्तन होने पर पेन्शन भुगतान की पंजी में पेन्शनर का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जायगा। यह पंजी स्थाई अभिलेख के रूप में रखी जाएगी।

(viii) पेन्शन का भुगतान अगले उत्तरवर्ती माह की पहली तारीख को बोर्ड द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

(ix) पेन्शन फंड़ की आय तथा व्यय के लिये रोकड़ पुस्तक पृथक से संधारित की जायगी। प्राप्ति एवं भुगतान का मिलान बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही से प्रतिमाह किया जायेगा। पेन्शन

फंड के विनियोग पर प्रभावी नियंत्रण वित्त प्रभारी द्वारा रखा जायेगा।

(x) पेन्शन कार्य की प्रकिया/प्रपत्र/पंजी इत्यादि के लिये प्रथक अनुदेश जारी किये जायेंगे।

10. <u>पुनर्विलोकन</u> :–

बोर्ड वेतनमान के पुनरीक्षण होने पर अथवा आवश्यकतानुसार पेन्शन फण्ड़ की स्थिति का पुनर्विलोकन (Review) कर सकेगा।

11. <u>निर्वचन</u> –

इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे राज्य बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायगा तथा राज्य बोर्ड का विनिष्चय अंतिम होगा।